The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 11 | November 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं उनकी समाज में भूमिका

Sanjay Kumar* (Political Science - Guest Lecturer),

Dr. Safakkat ali (sociology - Guest Lecturer)

Hulas Kumar (commerce - Guest Lecturer)

Govt. Naveen College Pendrawan Dist Durg, Email - 07sanjaykumar08@gmail.com*

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17922511

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 22-11-2025

Published: 10-12-2025

Keywords:

ABSTRACT

महिला सशक्तिकरण का मतलब है—महिलाओं को ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से जटिल रही है। एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित किया गया है। महिलाओं को लंबे समय तक शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखा गया। बदलते समय के साथ, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व को समाज ने स्वीकारा है। इस सशक्तिकरण में सबसे प्रभावी माध्यम है—शिक्षा। महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं है, यह एक राष्ट्र के विकास की नींव है। जब एक महिला शिक्षित होती है, तो वह केवल स्वयं का नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का विकास करती है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो महिलाओं के जीवन में आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संचार करती है। भारत तभी सशक्त राष्ट्र बन सकता है, जब उसकी महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित हों।

अतः यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हर बेटी को शिक्षित करें और हर महिला को सशक्त बनाएँ।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या भूमिका है

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के चार स्तंभों पर काम करती है, जिसके तहत मिशन शक्ति, नारी शक्ति वंदन अभियान, नमो ड्रोन दीदी योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षा, गरिमा और राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाना है.

प्रमुख क्षेत्र और सरकारी भूमिका:

शिक्षा और स्वास्थ्य:

सभी वर्गों की महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है.

आर्थिक सशक्तिकरण:

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है. महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी पहलें महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर आय के नए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

अवसर पैदा कर रही हैं.

सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण:

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलें महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा रही हैं I

सुरक्षा और संरक्षा:

मिशन शक्ति के तहत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर (संबल) और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाएं चल रही हैं.

पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुरक्षित शहर परियोजनाएं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद कर रही हैं

कानूनी और संस्थागत समर्थन:

राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विधवाओं, संकटग्रस्त महिलाओं और अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए स्वाधार गृह जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं.

भारत में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और समाज में समानता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

1 नीतियाँ और सरकारी पहले

केंद्र और राज्य सरकारों ने महिला सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता बनाई है। योजनाएँ जैसे PM MUDRA योजना में महिलाओं को उद्यमिता के लिए ऋण की पहुँच बढ़ी है। बजट में "लैंगिक, सेंसिटिव" प्रावधानों सहित संसाधन आवंटन बढ़ाया गया है।

2 प्रतिनिधित्व में सुधार

पंचायत स्तर से लेकर स्थानीय शासन तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यह नीति इच्छा का संकेत है कि महिलाओं को निर्णय, निर्माण की भूमिका में लाया जा रहा है।

"महिला आरक्षण अधिनियम, 2023" की चर्चा, जिससे कि विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

3. सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता

महिला सुरक्षा अभियान, वन स्टॉप सेंटर्स आदि की स्थापना, कानूनी सुधार, शिकायत निवारण के त्वरित माध्यम। सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

4. शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक सशक्तिकरण

लड़कियों की शिक्षा और उच्च शिक्षा में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास कार्यक्रम, वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक सक्रिय हो रही हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की सुझाव / आगामी दिशा

1. नीति कार्यान्वयन सुधारना

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को हर जिले/ब्लॉक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही के माध्यम से लागू करना चाहिए।

2. शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना

महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, कानूनी सुरक्षा आदि की जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है। सामाजिक मान्यताएँ बदलने के लिए परिवार और समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम।

3. उच्च स्तर पर आरक्षण/प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना

संसद एवं विधानसभा स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्तरीय आरक्षण (quota) लागू करना चाहिए, ताकि निर्णय निर्माण में महिलाओं की आवाज़ बराबर हो।

4. अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी

महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, वित्त पोषण आदि में अधिक अवसर देना। महिला-स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना।

5. सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करना

महिला हिंसा के मामलों में त्वरित न्यायालयीन प्रक्रिया, पुलिस एवं न्याय प्रणाली की लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाना, वन-स्टॉप सेंटर्स और सहायता सेवाओं का विस्तार।

6. समाजिक व सांस्कृतिक बदलाव

मीडिया, शिक्षा पाठ्यक्रम, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ महिलाओं की भूमिका को सकारात्मक तरीके से पेश करें। पुरुषों की भूमिका साझेदारी की दृष्टि से देखें। 2025-26 में भारत की राजनीति में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में लैंगिक बजट में 37.25% की वृद्धि की गई है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, लखपति दीदी पहल और मिशन शक्ति जैसी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक तथा वित्तीय समावेशन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाने पर केंद्रित हैं।

चुनौतियाँ

पितृसत्तात्मक सोच, निरक्षरता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधाएँ हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। नीतियों एवं कार्यक्रमों का समान रूप से कार्यान्वयन नहीं होना

कई योजनाएँ बनी हैं, लेकिन राज्यों एवं जिलों में संसाधनों की कमी, अधिकारों की जानकारी की कमी, भ्रष्टाचार आदि कारणों से उनका लाभ सभी तक नहीं पहुँचता। संरचनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीमाएँ लैंगिक रूढ़िवाद, पारिवारिक दबाव, घरेलू काम का बोझ, महिला स्वतंत्रता पर समाज की उम्मीदें आदि। प्रतिनिधित्व का अभाव ऊँचे स्तर पर पंचायत और स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन विधानसभाएँ/संसद/मंत्रिपरिषद स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षित स्तर से कम है। आर्थिक असमानताएँ और समावेशन की कमी वित्तीय संस्थाएँ, ऋण पहुँचना, उद्यमिता आदि में बहुत से महिलाएँ पीछे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़ी एवं वंचित जाति जिला की महिलाएँ। सुरक्षा, हिंसा और न्याय की प्रक्रिया में देरी महिलाओं पर हिंसात्मक घटनाएँ अभी भी बड़ी समस्या हैं। न्यायालयी प्रक्रिया और पुलिस/प्रशासन की संवेदनशीलता की कमी से न्याय मिलने में देरी होती है।

राजनीतिक और विधायी सुधार:

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: इस संवैधानिक सुधार के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जो भविष्य की महिला नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। मिशन शक्ति: यह एक व्यापक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण

सुनिश्चित करना है। यह जीवन के सभी चरणों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन-काल आधारित रणनीति अपनाता है।

आर्थिक सशक्तिकरण:

लखपति दीदी पहल: इस पहल का लक्ष्य गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर उन्हें सूक्ष्म-उद्यमों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है। 2025 तक, 1.48 करोड़ से अधिक एसएचजी सदस्यों को एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को ऋण दिए गए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26: लैंगिक बजट आवंटन में 37.25% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो महिलाओं के कल्याण और उनके आर्थिक विकास से जुड़ी पहलों को मजबूत करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण प्रयास:

वित्तीय समावेशन: प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है और उन्हें वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाया गया है। रक्षा में महिलाओं का प्रवेश: सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों के प्रवेश के ऐतिहासिक निर्णयों ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं।

समाधान और सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। महिला शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ और सुविधाएँ दी जाएँ। समाज में मानसिकता परिवर्तन लाया जाए कि लड़की होना बोझ नहीं है।महिला सुरक्षा के लिए कानूनों का कड़ाई से पालन हो।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को जागरूक, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं को जागरूक बनाकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करता है।

1. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मार्ग:

शिक्षित महिलाएं अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। वे न केवल आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि परिवार और समाज की भलाई के लिए भी कार्य करती हैं।

2. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता:

शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है। एक शिक्षित महिला अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती है और नेतृत्व की भूमिका निभा सकती है।

3. रोजगार के अवसर:

शिक्षा से महिलाओं को बेहतर रोजगार मिलते हैं। इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी मिलती है, जो सशक्तिकरण का मूल आधार है।

4. सामाजिक जागरूकता:

शिक्षित महिलाएं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। वे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं।

5. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन:

शिक्षित महिलाएं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती हैं। वे पोषण, टीकाकरण, और परिवार नियोजन की महत्ता को समझती हैं।

6. अधिकारों के प्रति जागरूकता:

शिक्षा महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इससे वे कानूनी सहायता लेने में संकोच नहीं करतीं।

भारत में महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य

भारत में महिला सशक्तिकरण के कई उद्देश्य हैं, जिनका लक्ष्य नारी को संपूर्ण रूप से सक्षम बनाना है। मुख्य लक्ष्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. लैंगिक समानता (Gender Equality):

भारतीय समाज में पुरुष और महिला के बीच असमानता की गहरी जड़ें हैं। सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य इस असमानता को समाप्त करना है ताकि दोनों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिल सकें।

2. आर्थिक आत्मनिर्भरता (Economic Independence):

महिलाओं को रोजगार और उद्यम के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है। जब महिलाएं कमाने लगती हैं, तो उनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।

3. शिक्षा की उपलब्धता (Access to Education):

हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ताकि वह न केवल शिक्षित बने, बल्कि समाज में योगदान भी दे सके।

4. राजनीतिक भागीदारी (Political Participation):

राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।

5. कानूनी अधिकारों की रक्षा (Legal Rights & Protection):

महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाना।

6. स्वास्थ्य और पोषण (Health & Nutrition): महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण प्रदान करना, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हो सकें।

7. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन (Elimination of Social Evils): बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

<u>वर्तमान परिदृश्य भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं:</u>

स्वास्थ्य और मातृ देखभाल: भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है, जिससे मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

वर्ष 2018-20 में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गया, जो वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के 70 लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उचित प्रगति को दर्शाता है। यह उपलब्धि मुख्यतः बेहतर

स्वास्थ्य सेवाओं तक अभिगम्यता और विशेषकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिये जाने के कारण संभव हुई है। सत्र 2019-21 में, 88.6% प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, जो सत्र 2015-16 के 78.9% से उल्लेखनीय वृद्धि है। मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) में भी सुधार हुआ है, जिसमें 59% (सत्र 2019-21) महिलाओं को स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा अनुशंसित चार या अधिक ANC दौरे प्राप्त हुए हैं।

शिक्षा और साक्षरता: भारत में महिला साक्षरता और शिक्षा तक अभिगम्यता में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे लैंगिक अंतर कम हुआ है। विश्व बैंक भारत की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्वतंत्रता के दौरान 11 में से केवल 1 लड़की ही साक्षर थी, जो लगभग 9% है। और वर्तमान में, महिला साक्षरता दर बढ़कर 77% हो गई है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GER) लड़कों की तुलना में लगातार अधिक रहा है। सत्र 2021-22 में महिला GER और पुरुष GER का अनुपात 1.01 (उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022) है। कार्यबल भागीदारी और आर्थिक सशक्तीकरण: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, महिला स्व-रोज़गार में 30% की वृद्धि हुई है, जो सत्र 2017-18 में 51.9% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 67.4% हो गई है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिये भारत के प्रयासों के कारण अधिक महिलाएँ उद्यमिता में प्रवेश कर रही हैं, लगभग 50% DPIIT-पंजीकृत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। महिलाओं के लिये श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सत्र 2017-18 में 23.3% से बढ़कर सत्र 2022-23 में 37% हो गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME ने वित्त वर्ष 2021-2023 तक महिलाओं के लिये 89 लाख से अधिक नए रोज़गार सृजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ और सरकारी योजनाएँ: भारत ने महिला कल्याण के लिये समर्पित योजनाओं के माध्यम से लैंगिक समानता का समर्थन करने के लिये अपने नीतिगत कार्यढाँचे को सुदृढ़ किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में लैंगिक बजट आवंटन में 37.25% की वृद्धि की गई है, जो 4.49 लाख करोड़ रू. तक पहुँच गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (68% ऋण महिलाओं को) जैसी पहलों ने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। ये नीतियाँ न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि एक समावेशी परिवेश का भी पोषण करती हैं जहाँ महिलाएँ उद्यमी और आर्थिक विकास में योगदानकर्त्ता के रूप में प्रगति कर सकती हैं। डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता: भारत ने महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन में प्रगति की है, जो आर्थिक स्वतंत्रता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) से एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिसकी सफलता में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगस्त 2025 तक, 56% से अधिक जन धन खाते महिलाओं के होंगे। इस पहल ने लाखों बैंकिंग सेवाओं से वंचित महिलाओं

को शून्य-शेष खाता प्रदान किया है, जिससे उनकी औपचारिक वित्तीय भागीदारी की नींव रखी गई है। इसके अलावा, मार्च 2025 तक, 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएँ (53.68%) हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल और कल्याण कार्यक्रम: प्रधानमंत्री आवास योजना- महिला प्रधान परिवार (PMAY) और उज्ज्वला योजना जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों ने महिलाओं को आवास एवं रसोई गैस प्रदान करके उन्हें महत्त्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है।

आँगनवाड़ी और मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ASHA) कार्यकर्त्ताओं जैसे ज़मीनी स्तर पर महिलाओं का विशाल नेटवर्क कई सामाजिक कल्याण योजनाओं की रीढ़ है। वे सबसे कमज़ोर आबादी तक स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाएँ प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों में भारतीय महिलाओं का उदय: हाल के वर्षों में, भारतीय महिलाओं ने खेलों में प्रमुखता हासिल की है, रिकॉर्ड तोड़े हैं और लाखों लोगों को प्रेरित किया है।

मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पैरा-शूटर अवनि लेखरा तीन पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, जबकि पैरा-तीरंदाज शीतल देवी सबसे कम उम्र की भारतीय पैरालंपिक पदक विजेता बनीं। ये उपलब्धियाँ भारतीय खेलों में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान 'सुकन्या समृद्धि योजना' आरक्षण नीति (पंचायतों में 33% आरक्षण) महिला हेल्पलाइन 181 महिला पुलिस की नियुक्ति और विशेष थाने इन पहलों ने महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाए l

सारांश (Abstract):

यह शोधपत्र भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख लक्ष्यों तथा उसमें शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करता है। भारत जैसे देश में जहाँ परंपरागत रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर समझा गया है, वहाँ आज शिक्षा एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को समान अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं निर्णय लेने में सक्षम बनाना भी है। इस प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शोध इसी विचारधारा के तहत महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के प्रभाव, वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और समाधान का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है।

.....: संदर्भ सूची.....

- **भारत में महिला सशक्तिकरण : एक व्यापक सरकारी दृष्टिकोण SAMAGRA BHARAT.COM**
- **भारतीय राजनीति में महीला सशक्तिकरण की भूमिका Sibe. Rpress.com.in**
- **नारी- शक्ति के लिए नई गति : महीला सशक्तिकरण में 11 वर्ष dainikna vajyoti.com**
- **नारी शक्ति से नया भारत : (PIB)**
- **भारत में महीला सशक्तिकरण**

लैगिक समानता nextias.com

- **भारत में समग्र महीला सशक्तिकरण के प्रयास drishtiias**
- **भारत में महीला सशक्तिकरण की नई परिभाषा w.w.w.Pib.goy.in**
- **भारत में महीला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, योजनाएं कार्यक्रम**

.....: संदर्भ (References):.....

1. Ministry of Women and Child Development, Govt. of India

2. National Family Health Survey (NFHS-5)

3. UNESCO Report on Education (India Chapter)

4. Research articles from JSTOR, SSRN

5. Reports by UN Women India

6. "Empowering Women through Education in India" - Journal of Social Development Studies